

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1642]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/वैशाख 17, 1940

No. 1642]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/VAISAKHA 17, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

का.आ. 1829(अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3083 तारीख 19 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को तारीख 19 सितम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युन्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

और, पोरबंदर पक्षी अभयारण्य पोरबंदर शहर के मध्य में स्थित है और चारों ओर से मानव जनसंख्या से घिरा हुआ है और क्षेत्र का विस्तार 0.0933 वर्ग किलोमीटर है;

और, पक्षी अभयारण्य 75 पक्षी प्रजातियों से अधिक, 14 वनस्पति प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है और उक्त पक्षी अभयारण्य कई प्रवासी स्थानीय प्रवासी और आवासी पक्षी प्रजातियों जैसे फ्लेमिंगो (फोइनेकोपटेरूस रूसेउस), स्पॉटिड डक (अनस पोइकिलोरयंचा), कोरमोरेंटस (फलाकरोकोरक्स फुसिकिकोल्लिस), पेंटिड स्टॉर्कस (मयचटेरिया लेयकोकेफाला), एड्जुटेंट स्टार्कस (लेपटोपटीलोस दुबिउस), शोवेलर (स्पतुला चलयपेअटा), कॉमन क्रेन (गरूस गरूस), एगरेट्स (अरदेया अलबा) और स्पूनबिल्स (पलाटालेया लेउकोरोदीया), आदि का आश्रय प्रदान करता है;

2518 GI/2018 (1)

और, पोरबंदर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में पोरबंदर पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 25 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पोरबंदर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पोरबंदर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0 किलोमीटर से 0.025 किलोमीटर तक फैला है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 0.0124 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पोरबंदर पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध ।** में दिया गया है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध ॥क, उपाबंध 2ख,** और **उपाबंध 3 ग** के रुप में उपाबद्ध है।
- (4) पोरबंदर पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू- निर्देशांको के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध 3** के सारणी **क**, सारणी **ख** में दी गई है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राजपत्र में इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थातु:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि ;
 - (iv) राजस्व:
 - (v) नगर विकास;
 - (vi) पर्यटन;

- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
- (5) आंचिलक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।
- (7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए पैरा 4 की सारणी में सूची बद्ध विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियम और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी।
- (9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिक अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
- (10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों का पालन करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज इस प्रकार अनुमोदित करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--
- (1) **भू-उपयोग** –पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमियों का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है तथा क्रियाकलापों के लिए जैसे:-

- (i)विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक

पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी सिमिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त गलती के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत** --आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार करेगा।
- (3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य विभाग पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।
- (घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पोरबंदर पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए होटल/सैरगाह या वाणिज्यिक स्थापन के संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विनि प्रदूषण -- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण तत्वों के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय परिवहन:** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचिलक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचिलक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि हैं।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमित दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:
- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	व .	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खिनज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों को या उनके विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र सतही में अनुपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

	ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।	
		परंतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।	
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:	
		(ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;	
		(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;	
		(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ;	
		(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और	
		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप ।	
		परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।	

		(ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपिरसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना
		वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कृक्कृट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र	जल निकायों में प्रवेश करने के लिए अपशिष्ट जल/ बहिस्राव
		•

	में उपचारित बहिर्स्नावों अपशिष्ट जल एवं का निस्सारण ।	उपचारित उत्सर्जन रोकेगा। पुन:चक्रण और अपशिष्ट जल
		उपचारित पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे अन्यथा
		अपशिष्ट जल/ बहिस्राव उत्सर्जन लागू विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	प्लास्टिक बैग का उपयोग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग के
		लिए अनुज्ञात होंगे । तथापि, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर,
		इसे लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंगें ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग.	संवर्धित क्रियाकलाप
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार के द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क)	कलक्टर, पोरबंदर जिला	अध्यक्ष;
(ख)	पर्यावरण और वन विभाग, गुजरात सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(ग)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(ঘ)	क्षेत्र के सीनियर टाउन प्लानर	सदस्य;
(종)	राज्य सरकार द्वारा नामित वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(च)	सदस्य सचिव या सदस्य, गुजरात राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(छ)	प्रतिष्ठित संस्था या राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकीय तंत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ज)	वन के उप संरक्षक, (अभयारण्य के प्रभारी), पोरबंदर	सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध 4** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. अतिरिक्त उपाय: इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. उच्चतम न्यायालय अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/119/2015-ईएसजेड-आरई] ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-।


पोरबंदर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व : 0.025 किलोमीटर
 पश्चिम : 0.00 किलोमीटर
 उत्तर : 0.00 किलोमीटर
 दक्षिण : 0.025 किलोमीटर

विवरण	क्षेत्र
वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	0
गैर-वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	1.24
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	1.24
अधिकतम दूरी (किलोमीटर में)	0.025
न्यूनतम दूरी (किलोमीटर में)	0


<u>उपाबंध- ॥क</u>

पोरबंदर पक्षी अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र



<u>उपाबंध- ॥ख</u>

मुख्य अवस्थानों कें पारिस्थितिकी संवेदी जोन और इसके अक्षांश और देशांतर के साथ पोरबंदर पक्षी अभयारण्य का गूगल पृथ्वी मानचित्र



<u>उपाबंध- ॥ग</u> मुख्य अवस्थानों कें अक्षांश और देशांतर के साथ पोरबंदर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-॥

सारणी क: पोरबंदर पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों कें अक्षांश और देशांतर और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सची

वाल ग्रामा का सूचा				
अक्षांश	देशांतर	ग्राम	तालुक	
21° 38' 14.134" उ	69° 37' 5.559 " पू	पोरबंदर	पोरबंदर	
21° 38' 11.259" उ	69° 37' 10.992" पू	पोरबंदर	पोरबंदर	
21° 38' 7.251" उ	69° 37' 17.748" पू	पोरबंदर	पोरबंदर	
21° 38' 1.622" उ	69° 37' 15.156" पू	पोरबंदर	पोरबंदर	
21° 38' 4.965" ਤ	69° 37' 8.129" पू	पोरबंदर	पोरबंदर	
21° 38' 7.939" ਤ	69° 37' 2.361" पू	पोरबंदर	पोरबंदर	
21° 38' 9.090" ਤ	69° 37' 1.746" पू	पोरबंदर	पोरबंदर	
21° 38' 12.459" उ	69° 37' 1.789" पू	पोरबंदर	पोरबंदर	
	21° 38' 14.134" ਤ 21° 38' 11.259" ਤ 21° 38' 7.251" ਤ 21° 38' 1.622" ਤ 21° 38' 4.965" ਤ 21° 38' 7.939" ਤ 21° 38' 9.090" ਤ	वक्षांश 21° 38' 14.134" उ 69° 37' 5.559" पू 21° 38' 11.259" उ 69° 37' 10.992" पू 21° 38' 7.251" उ 69° 37' 17.748" पू 21° 38' 1.622" उ 69° 37' 15.156" पू 21° 38' 4.965" उ 69° 37' 8.129" पू 21° 38' 7.939" उ 69° 37' 2.361" पू 21° 38' 9.090" उ 69° 37' 1.746" पू	अक्षांश देशांतर ग्राम 21° 38' 14.134" उ 69° 37' 5.559" पू पोरबंदर 21° 38' 11.259" उ 69° 37' 10.992" पू पोरबंदर 21° 38' 7.251" उ 69° 37' 17.748" पू पोरबंदर 21° 38' 1.622" उ 69° 37' 15.156" पू पोरबंदर 21° 38' 4.965" उ 69° 37' 8.129" पू पोरबंदर 21° 38' 7.939" उ 69° 37' 2.361" पू पोरबंदर 21° 38' 9.090" उ 69° 37' 1.746" पू पोरबंदर	

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदो जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	ग्राम	तालुक
1	21° 38' 13.395" उ	69° 37' 1.413" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
2	21° 38' 13.160" ਤ	69° 37' 2.354" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
3	21° 38′ 10.368″ उ	69° 37' 1.389" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
4	21° 38' 7.939" उ	69° 37' 2.361" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
5	21° 38' 7.008" उ	69° 37' 3.616" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
6	21° 38' 5.846" उ	69° 37' 6.104" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
7	21° 38′ 4.168″ उ	69° 37' 9.701" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
8	21° 38' 2.922" उ	69° 37' 12.370" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
9	21° 38' 2.290" उ	69° 37' 11.814" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
10	21° 38' 3.469" उ	69° 37' 9.287 " पू	पोरबंदर	पोरबंदर
11	21° 38' 5.170" उ	69° 37' 5.641" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
12	21° 38' 6.344" उ	69° 37' 3.152" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
13	21° 38' 7.367" ਤ	69° 37' 1.788" पू	पोरबंदर	पोरबंदर
14	21° 38′ 10.251" उ	69° 37' 0.588" पू	पोरबंदर	पोरबंदर

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तिथि।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

S.O. 1829(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3083(E), dated the 19th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the paid draft notification were made available to the public on the 19th September, 2017;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Porbandar Bird Sanctuary is situated in the middle of the Porbandar city and is covered on all sides by the human population and has an area to the extent of **0.0933 square kilometer**;

AND WHEREAS, the Bird Sanctuary supports more than 75 species of birds, 14 species of flora and the said Bird Sanctuary supports many migratory, local migratory and resident bird species such as flamingoes (*Phoenicopterus roseus*), spotted duck (*Anas poecilorhyncha*), cormorants (*Phalacrocorax fuscicollis*), painted storks (*Mycteria leucocephala*), adjutant storks (*Leptoptilos dubius*), shoveller (*Spatula clypeata*), common crane (*Grus grus*), egrets (*Ardea alba*) and spoonbills (*Platalea leucorodia*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Porbandar Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 25 meters from the boundary of the Porbandar Bird Sanctuary in the State of Gujarat, as Porbandar Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- (1) Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 kilometres to 0.025 kilometres around the Porbander Bird Sanctuary and the area of Eco-sensitive Zone is 0.0124 square kilometres.
- (2) The boundary description of the Porbander Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A**, Annexure-II B and Annexure-II C.
- (4) The geo-coordinates of the Porbander Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone along with list of villages falling within the Eco-sensitive Zone are given in Table A Table B of Annexure-III.
- 2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent Authority in the State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan, namely:-
- (a) Environment;
- (b) Forest and Wildlife;
- (c) Agriculture;
- (d) Revenue;
- (e) Urban Development;
- (f) Tourism;
- (g) Rural Development;
- (h) Irrigation and Flood Control;
- (i) Municipal;
- (j) Panchayati Raj; and
- (k) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and the said Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to the prohibited and, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by State Government**. The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use. Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:
 - Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents and for activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-
 - (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in the Table in paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided shall also that there shall be no consequential reduction in green are, such as forest area and agricultural and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism/** Eco-tourism.- (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within 1 kilo meter from the boundary of the Porbandar Bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, beyond the distance of 1 kilo meter from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation six months from the date of publication of this notification in the official Gazatte and the said plan shall from part of the Zonal Master Plan.

- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation six months from the date of publication of this notification in the official Gazatte and the said plan shall from part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.
- (7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder as amended from time to time.
- **8. Discharge of effluents:** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016, as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) Bio-medical waste. Bio medical waste management shall be as under:-
 - (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended form time to time.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management. The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management. The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste. The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

- (15) **Vehicular pollution**. Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.
- (16) Industrial Units. (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.** The protection of hill slopes shall be as under:
 - (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone. —

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	a. all new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption.
		b. The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	 (a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7. 8.	Setting up of brick kilns. New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. Establishment of new wood based industry shall be prohibited within the limits of Eco-sensitive Zone.
]	B. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities.
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities;	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
		(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet their residential needs of the local residents such as:
		(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
		(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;
		(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco- tourism including homestays; and
		(v) Promoted activities listed in this Notification.
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and

		kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any.
		(c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Felling of trees	a. There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.
		b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law and underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate,	Regulated under applicable laws.

	companies, etc.	
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
25.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
		C. Promoted Activities
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
35.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee : The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:—

(a)	Collector, Porbandar District	Chairman;
(b)	Representative of the Department of Environment and Forests,	Member;
	Government of Gujarat	

(c)	Regional Officer, State Pollution Control Board	Member;
(d)	Senior Town Planner of area	Member;
(e)	A representative of non-governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(f)	Member Secretary or Member, Gujarat State Biodiversity Board	Member;
(g)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(h)	Deputy Conservator of Forests, (in-charge of the sanctuary), Porbandar	Member Secretary.

- **6. Terms of Reference. –** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government, and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure **IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7. Orders of Supreme Court, etc.:** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** Additional measures: The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

ANNEXURE- I


BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PORBANDAR BIRD SANCTUARY

East : 0.025 km
 West : 0.00 km
 North : 0.00 km
 South : 0.025 km


Detail	Area
Forest Area (Ha)	0
Non - Forest Area (Ha)	1.24
Total Area (Ha)	1.24
Maximum Distance (in kms)	0.025
Minimum Distance (in kms)	0

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF PORBANDAR BIRD SANCTUARY




ANNEXURE- IIB GOOGLE EARTH MAP PORBANDAR BIRD SANCTUARY ALONG OF ECO-SENSITIVE ZONE AND THEIR LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-II C

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PORBANDAR BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Porbandar BIRD Sanctuary and list of villages falling in the Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Latitude	Longitude	Village	Taluka
1	21° 38′ 14.134″ N	69° 37' 5.559" E	Porbandar	Porbandar
2	21° 38' 11.259" N	69° 37' 10.992" E	Porbandar	Porbandar
3	21° 38' 7.251" N	69° 37' 17.748" E	Porbandar	Porbandar
4	21° 38' 1.622" N	69° 37' 15.156" E	Porbandar	Porbandar
5	21° 38' 4.965" N	69° 37' 8.129" E	Porbandar	Porbandar
6	21° 38' 7.939" N	69° 37' 2.361" E	Porbandar	Porbandar
7	21° 38' 9.090" N	69° 37' 1.746" E	Porbandar	Porbandar
8	21° 38' 12.459" N	69° 37' 1.789" E	Porbandar	Porbandar

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone and list of villages falling in the Eco-sensitive Zone

Sl No	Latitude	Longitude	Village	Taluka
1	21° 38′ 13.395″ N	69° 37′ 1.413″ E	Porbandar	Porbandar
2	21° 38′ 13.160″ N	69° 37' 2.354" E	Porbandar	Porbandar
3	21° 38′ 10.368″ N	69° 37′ 1.389″ E	Porbandar	Porbandar
4	21° 38′ 7.939" N	69° 37' 2.361" E	Porbandar	Porbandar
5	21° 38′ 7.008″ N	69° 37' 3.616" E	Porbandar	Porbandar
6	21° 38′ 5.846″ N	69° 37' 6.104" E	Porbandar	Porbandar
7	21° 38′ 4.168″ N	69° 37' 9.701" E	Porbandar	Porbandar
8	21° 38′ 2.922″ N	69° 37' 12.370" E	Porbandar	Porbandar
9	21° 38′ 2.290″ N	69° 37' 11.814" E	Porbandar	Porbandar
10	21° 38′ 3.469″ N	69° 37' 9.287" E	Porbandar	Porbandar
11	21° 38′ 5.170″ N	69° 37' 5.641" E	Porbandar	Porbandar
12	21° 38′ 6.344″ N	69° 37' 3.152" E	Porbandar	Porbandar
13	21° 38′ 7.367″ N	69° 37' 1.788" E	Porbandar	Porbandar
14	21° 38′ 10.251" N	69° 37' 0.588" E	Porbandar	Porbandar

Annexure -IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.